भारत सरकार

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1393

उत्तर देने की तारीख : 19.12.2022

सकल घरेलू उत्पाद में एमएसएमई और कुटीर उद्योग का योगदान

1393. श्री नीरज डांगी:

क्या **सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम तथा कुटीर उद्योग का देश के सकल घरेलू उत्पाद और रोजगार सृजन करने में क्या योगदान रहा है, तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या उक्त अवधि के दौरान एमएसएमई में हुए विनिर्माण/उत्पादन का सकल घरेलू उत्पाद और रोजगार सृजन में योगदान रहा है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) देश में एमएसएमई के कार्यों के निष्पादन में सुधार और इनके विकास के लिए सरकार द्वारा क्या-क्या अन्य सुधारात्मक उपाय किए गए हैं?

उत्तर

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम राज्य मंत्री

(श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा)

(क) से (ग) : सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय से प्राप्त सूचना के अनुसार अखिल भारतीय सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में एमएसएमई सकल मूल्य वर्धन (जीवीए) का भाग निम्नानुसार है:

वर्ष	2018-19	2019-20	2020-21
अखिल भारतीय जीडीपी में एमएसएमई जीवीए का (%)	30.50	30.50	26.83

वाणिज्यिक जानकारी एवं सांख्यिकी महानिदेशालय से प्राप्त सूचना के अनुसार अखिल भारतीय निर्यात में विशिष्ट एमएसएमई से संबंधित उत्पादों के निर्यात का भाग निम्नानुसार है:

विवरण	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23 (अगस्त, 2022 तक)
अखिल भारतीय निर्यात में एमएसएमई से संबंधित उत्पादों का भाग (% में)	49.77	49.35	45.03	42.67

उद्यम पंजीकरण पोर्टल के अनुसार एमएसएमई में नियोजित व्यक्तियों की कुल संख्या जो विगत 3 वर्षों और चालू वर्ष के दौरान शामिल हुए हैं, इस प्रकार है:

वर्ष	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23 (07.12.2022 तक)
अखिल भारत	65,64,458	1,12,27,745	1,30,19,919	84,23,452

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय से प्राप्त सूचना के अनुसार अखिल भारतीय विनिर्माण सकल मूल्य वर्धन (जीवीए) में विनिर्माण एमएसएमई सकल मूल्य वर्धन (जीवीए) का भाग निम्नानुसार है:

वर्ष	2018-19	2019-20	2020-21
अखिल भारतीय विनिर्माण जीवीए में विनिर्माण एमएसएमई के भाग का (%)	40.60	40.67	38.47

(घ) : एमएसएमई मंत्रालय देश में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) के संवर्धन और विकास के लिए विभिन्न योजनाएं/कार्यक्रमों का कार्यान्वयन करता है जिसमे अन्य बातों के साथ-साथ प्रधान मंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी), सूक्ष्म और लघु उद्यम-क्लस्टर विकास कार्यक्रम (एमएसई-सीडीपी), पारंपरिक उद्योगों के पुनरुद्धार के लिए निधि योजना (स्फूर्ति), सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए क्रेडिट गारंटी योजना (सीजीटीएमएसई) और नवोन्मेष, ग्रामीण उद्योग और उद्यमिता के लिए योजना (एस्पायर) शामिल हैं।

सरकार ने देश में एमएसएमई के सहयोग के लिए हाल ही में विभिन्न पहलें की हैं, जिनमें अन्य बातो के साथ-साथ शामिल हैं:-

(i) एमएसएमई सहित व्यवसाय के लिए 5 लाख करोड़ रुपए का कोलेट्रल मुक्त ऑटोमेटिक ऋण।

(ii) एमएसएमई आत्म-निर्भर भारत कोष के माध्यम से 50,000 करोड़ रुपए का इक्विटी समावेशन।

(iii) एमएसएमई के वर्गीकरण के लिए नया संशोधित मानदंड।

(iv) 200 करोड़ रुपए तक की खरीद के लिए कोई वैश्विक निविदा नहीं।

(v) व्यवसाय की सुगमता के लिए एमएसएमई के लिए “उद्यम पंजीकरण”।

(vi) एमएसएमई से संबंधित शिकायतों के समाधान तथा एमएसएमई को सहयोग प्रदान करने सहित ई-गवर्नेंस के विभिन्न पहलुओं को कवर करने के लिए जून, 2020 में “चैंपियंस” नामक ऑनलाइन पोर्टल का शुभारंभ।

(vii) 02 जुलाई, 2021 से खुदरा और थोक व्यापारों का एमएसएमई के रूप में समावेशन।

(viii) एमएसएमई की स्थिति में ऊर्ध्वगामी परिवर्तन के मामले में 3 वर्ष के लिए गैर-कर लाभ का विस्तार।

*****